11

संख्या –447/66–2012–05/2012

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

समग्र ग्राम विकास विभाग लखनऊ : दिनांक : 17 मई, 2012

विषय : डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में संचालित समग्र ग्राम्य विकास योजना तथा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को समाप्त करते हुए राजस्व ग्रामों के चहुंमुखी विकास हेतु प्रदेश में **डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना** लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव शासनादेश संख्या– 1996/66/2003 दिनांक 09 दिसम्बर, 2003, शासनादेश संख्या–1642/66–2007–49/05 दिनांक 14 सितम्बर, 2007 तथा शासनादेश संख्या–1140/66–2008–49/05 दिनांक 02 जून, 2008 को अवक्रमित करते हुए डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के स्वरूप एवं उसकी सरचना तथा क्रियान्वयन के संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

2– <u>योजना का उद्देश्य</u>

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के उन राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, जो विकास की आधारभूत सुविधाओं यथा: सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छ शौचालय आदि से वंचित हैं। इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों को लाभार्थीपरक योजनाओं से संतृप्त कराये जाने का भी लक्ष्य है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित की जाने वाली यह योजना "डा0 राम **मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना**" के नाम से जानी जायगी।

इस योजना के अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्राम को विकास की इकाई (Unit) माना जायेगा, जिसके अन्तर्गत उस राजस्व ग्राम की समस्त बसावटें सम्मिलित होंगी। मुख्य ग्राम को भी एक बसावट माना जाएगा।

3— योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रम

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 22 विभागों के 36 विकास कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे :

क्रमांक	डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यदायी विभाग का नाम
1	2	3
	अवस्थापना सुविधाएं	
1—	सम्पर्क मार्ग निर्माण	लोक निर्माण विभाग
2—	ग्रामीण विद्युतीकरण	ऊर्जा विभाग
3—	आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण	पंचायती राज विभाग
4—	स्वच्छ शौचालय निर्माण	तदैव
5—	आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना	ग्राम्य विकास विभाग
6—	स्वच्छ पेयजल आपूर्ति	तदैव
7—	तालाबों का जीर्णोद्धार	तदैव
8—	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय की स्थापना/निर्माण	बेसिक /माध्यमिक शिक्षा विभाग
9—	स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना /निर्माण	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
10—	आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना/निर्माण	महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग
11—	वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
12—	विशिष्ट परियोजनाएं	विभिन्न विभाग
	लाभार्थीपरक कार्यक्रम	
13—	महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	ग्राम्य विकास विभाग
14—	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	तदैव
15—	निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम	लघु सिंचाई विभाग
16—	कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन	राजस्व विभाग
17—	आवास हेतु भूमि का आवंटन	राजस्व विभाग
18—	मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन/ तालाब सुधार कार्यक्रम	राजस्व/मत्स्य विभाग
19—	कुम्हारी कलां हेतु भूमि का आवंटन	राजस्व विभाग

1	2	3
20–	कौशल विकास कार्यक्रम	व्यवसायिक शिक्षा विभाग
21–	बेरोजगारी भत्ता वितरण	श्रम एवं सेवायोजन विभाग
22–	टैबलेट पी0सी0 एवं लैपटॉप वितरण	माध्यमिक शिक्षा विभाग
23–	वृद्धावस्था / किसान पेंशन वितरण	समाज कल्याण विभाग
24–	पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान वितरण	महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग
25–	विकलांग पेंशन वितरण	विकलांग कल्याण विभाग
26–	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन योजना	समाज कल्याण विभाग
27–	अनुसूचित जाति / जनजाति छात्रवृत्ति वितरण	समाज कल्याण विभाग
28–	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
29–	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण	समाज कल्याण विभाग
30–	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
31–	पशुओं का टीकाकरण	पशुपालन विभाग
32–	पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम	तदैव
33–	आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति	खाद्य एवं रसद विभाग
34–	बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम	कृषि विभाग
35–	किसान क्रेडिट कार्ड वितरण	तदैव
36–	मृदा परीक्षण कार्यक्रम	तदैव

उपर्युक्त कार्यक्रमों का सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्व क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– <u>कार्यक्रमों के संतृप्तीकरण हेतु मानक</u>

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों के संतृप्तीकरण के मानक निम्नवत् होंगे :–

1– <u>सम्पर्क मार्ग निर्माण</u>

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित ग्राम की 250 या उससे अधिक आबादी वाली समस्त बसावटें पक्के सम्पर्क मार्ग से सिंगल कनेक्टिविटी (Single Connectivity) के आधार पर जोड़ी जायेंगी।
- 500 या उससे अधिक आबादी वाली ऐसी बसावटें, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आच्छादित हों, को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जोड़ा जायेगा।

- अन्य बसावटों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों यथा कृषि विपणन एवं गन्ना विकास विभाग आदि द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित हो सकने वाले मार्गों को प्राथमिकता पर उन योजनाओं में आच्छादित करते हुए अवशेष बची बसावटों हेतु बजट की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा कराई जायेगी।
- जिन बसावटों को जोड़ने में 40 प्रतिशत या अधिक अनु0जाति/जनजाति की आबादी लाभान्वित होती हो, उनके बजट की व्यवस्था स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत की जाएगी।
- यदि किसी बसावट को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग अन्य ग्राम/ग्रामों के भीतर होकर जाता है, तो ऐसी दशा में वह मार्ग अन्य ग्राम/ग्रामों की आबादी के भीतर भी प्रवेश करेगा और ऐसा होने पर आबादी वाले भाग में भी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जायेगा।
- इस कार्य हेतु कार्यदायी संस्था सामान्यतः लोक निर्माण विभाग होगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि कार्य की अधिकता के कारण लोक निर्माण विभाग के जिला स्तर पर उपलब्ध खण्ड निर्धारित समयावधि में इस कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ हों, तो ज़िलाधिकारी द्वारा निर्णय लेकर कतिपय कार्यों हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को भी कार्यदायी संस्था बनाया जा सकेगा।
- इस कार्यक्रम हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा।

2– <u>ग्रामीण विद्युतीकरण</u>

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित ग्राम की 500 या उससे अधिक आबादी वाली समस्त बसावटों को विद्युतीकृत एवं ऊर्जीकृत किया जायेगा।
- भारत सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना–II के अद्यतन मानकों के अनुसार विद्युतीकरण किये जाने पर ग्राम को संतृप्त माना जायेगा।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना– II से आच्छादित जनपदों से भिन्न जनपदों में संतृप्तीकरण हेतु बजट की व्यवस्था ऊर्जा विभाग द्वारा करायी जायेगी।
- जिन बसावटों के विद्युतीकरण से 40 प्रतिशत या उससे अधिक अनु0जाति/जनजाति की आबादी लाभान्वित होती हो, उनके बजट की व्यवस्था स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत की जायेगी।

- इस कार्यक्रम हेतु ऊर्जा विभाग नोडल विभाग होगा।

3– <u>आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण</u>

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित ग्राम की बसावटों की आन्तरिक गलियों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराया जाएगा।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2000 तक की आबादी वाले ग्राम में रु0 20 लाख, 2001 से 5000 तक की आबादी वाले ग्रामों में रु0 30 लाख तथा 5001 या अधिक आबादी वाले ग्रामों में रु0 40 लाख की सीमा तक व्यय कर आन्तरिक गलियों का निर्माण कराया जा सकेगा।
- श्रमांश यथा संभव मनरेगा योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त रूप से लिया जायेगा।
- ग्राम स्तर पर विभिन्न योजनाओं यथा राज्य वित्त आयोग एवं तेरहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से उपर्युक्त निर्धारित सीमा की न्यूनतम 5 प्रतिशत धनराशि का योगदान अतिरिक्त रूप से दिये जाने पर ही उपर्युक्त धनराशि व्यय की जा सकेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु बजट की व्यवस्था पंचायती राज विभाग द्वारा करायी जायेगी।
- जिन गलियों के निर्माण से 40 प्रतिशत या अधिक अनु0जाति/ जनजाति की आबादी लाभान्वित हो, उनके बजट की व्यवस्था स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत की जायेगी।
- जिन गलियों में दोनों तरफ आबादी है और मार्ग की चौड़ाई 3 मीटर या उससे अधिक है वहां दोनों ओर नाली/के0सी0ड्रेन बनायी जायेगी। अन्य गलियों में स्थलीय आवश्यकतानुसार नाली/के0सी0ड्रेन बनायी जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग होंगे एवं आवश्यकतानुसार कार्य का बंटवारा करने हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।
- ग्राम में नालियों से जल निकासी सुनिश्चित करने हेतु सी0सी0 रोड/ नाली निर्माण से पूर्व ग्राम की समस्त गलियों का एक ढ़लान मानचित्र (स्लोप मैप) तैयार कर लिया जाय। इसके पश्चात सी0सी0 रोड/नाली का निर्माण इस प्रकार कराया जाय कि निर्मित की गयी समस्त नालियों से पानी निकासी सुनिश्चित हो सके।

- कुल उपलब्ध धनराशि से यदि समस्त गलियों में सी.सी. रोड एवं नाली या के. सी. ड्रेन का निर्माण नहीं हो सकता है तो जिन गलियों में कार्य कराया जाना हो, उनका चयन उस राजस्व ग्राम से संबंधित ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जायेगा।
- इस कार्यक्रम हेतु पंचायती राज विभाग नोडल विभाग होगा।

4– स्वच्छ शौचालय निर्माण

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित ग्राम की समस्त बसावटों को भारत सरकार के सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के मानकों के अनुसार संतृप्त किया जायेगा।
- इस कार्यक्रम हेतु पंचायती राज विभाग नोडल विभाग होगा।

5– आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित ग्राम को भारत सरकार द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजना के मानकों के अनुसार संतृप्त किया जायेगा।
- इस कार्यक्रम हेतु ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग होगा।

6– स्वच्छ पेयजल आपूर्ति

- चयनित ग्राम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0) के अधीन पेयजल संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुरूप हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन अथवा पाईप पेयजल योजनाओं का निर्माण मानकानुसार कराकर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जाएगी।
- इस कार्यक्रम हेतु ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग होगा।

7– तालाबों का जीर्णोद्धार

- चयनित ग्राम की सीमा में पूर्व से तालाब उपलब्ध होने की दशा में किसी एक उपयुक्त तालाब का मनरेगा योजना के अन्तर्गत जीर्णोद्धार किया जायेगा।
- तालाब के चारों तरफ छायादार वृक्षों को लगाया जायेगा ।
- इस कार्यक्रम हेतु ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग होगा।

8– प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालय की स्थापना / निर्माण

- चयनित ग्राम में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान के मानकानुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं भवन निर्माण कराकर संतृप्त किया जाएगा।
- विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- उपर्युक्त कार्यक्रमों हेतु बेसिक शिक्षा विभाग नोडल विभाग होगा।
- चयनित ग्राम को मानकों के अनुसार कक्षा 9 व 10 की शिक्षा की सुविधा से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संतृप्त किया जाएगा।
- उपर्युक्त कार्यक्रम हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग नोडल विभाग होगा।

9– स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना / निर्माण

- वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर चयनित ग्राम को विभागीय मानकों के अनुसार स्वास्थ्य उपकेन्द्र से संतृप्त किया जायेगा।
- यदि चयनित ग्राम ऐसे उपकेन्द्र से जुड़ा है, जिस पर पूर्व से ही सम्बद्व जनसंख्या 5000 से अधिक है तो एक अतिरिक्त उपकेन्द्र इस प्रकार स्थापित किया जाएगा कि जिस उपकेन्द्र से चयनित ग्राम जुड़ा हो, उससे सम्बद्व जनसंख्या 5000 से अधिक न हो।
- इस कार्यक्रम हेतु बजट की व्यवस्था एन0आर0एच0एम0 (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा करायी जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

10– आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना / निर्माण

- चयनित ग्राम में मानक के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
- यदि आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु सरकारी भवनों की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो वहां आंगनवाड़ी केन्द्र / केन्द्रों हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था की जाएगी।

- इस कार्यक्रम हेतु बजट की व्यवस्था महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करायी जायेगी।
- जिन केन्द्रों की स्थापना/निर्माण से 40 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी लाभान्वित होती हो, उनके बजट की व्यवस्था स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत की जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग होगा।

11– वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था

- चयनित ग्राम की ऐसी अविद्युतीकृत बसावटें, जो 500 से अधिक आबादी की हों तथा जिनकी दूरी ग्रिड से 3 कि0मी0 से अधिक हो, को ऊर्जा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रदान किये जाने की दशा में भारत सरकार की रिमोट विलेज इलैक्ट्रिफिकेशन योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत से विद्युतीकृत किया जायेगा।
- चयनित ग्राम में सोलर स्ट्रीट लाईट के माध्यम से मार्ग प्रकाश की व्यवस्था संबंधित जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं विभागीय मानकों के अनुसार की जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग नोडल विभाग होगा।

12– विशिष्ट परियोजनाएं

- चयनित ग्रामों की भौगोलिक स्थिति अथवा वहां की जनसंख्या की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत कभी–कभी ऐसे कार्यक्रम अथवा योजना की आवश्यकता होती है, जिसके बिना ग्राम का विकास पूर्ण नहीं माना जा सकता। उदाहरण के तौर पर बंजर एवं ऊसर भूमि की अधिकता की दशा में उसके सुधार हेतु कार्यक्रम, खादर एवं बीहड़ में स्थित होने की दशा में भूमि संरक्षण कार्यक्रम या चेकडैम बनाना, श्रम की दृष्टि से उद्योग विशेष में दक्षता हेतु प्रशिक्षण या कॉमन फैसिलिटी सेन्टर की आवश्यकता, वन क्षेत्र में स्थित होने की विशिष्ट आवश्यकता अथवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थित होने के कारण बाढ़ से सुरक्षा हेतु कार्य आदि–आदि। ऐसी और भी अनेक विशिष्ट प्रकृति की आवश्यकताएं हो सकती हैं।

- इस प्रकार की विशेष परिस्थिति वाले ग्रामों की आवश्यकता का जनपद स्तर पर आंकलन कर परियोजना तैयार कराकर पूर्ण औचित्य के साथ जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करायी जाएगी।
- सम्बन्धित विभाग आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वर्तमान में संचालित विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

13– महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

- चयनित ग्राम में इच्छुक व्यक्तियों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर मनरेगा के मानकों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस कार्यक्रम हेतु ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग होगा।

14– स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

- चयनित ग्रामों में पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा–निर्देशों एवं मानकों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार सृजन हेतु लाभान्वित किया जायेगा।
- इस कार्यक्रम हेतु ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग होगा।

15– निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम

- प्रदेश के जनपदों के जिन विकासखण्डों में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं, उन विकासखण्डों के चयनित राजस्व ग्रामों में निर्धारित विभागीय मानकों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु लघु सिंचाई विभाग नोडल विभाग होगा।

16– कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन

- चयनित ग्राम में भूमि की उपलब्धता की दशा में पात्रता के क्रम में उपलब्ध लाभार्थियों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन करते हुए विधिवत कब्जा दिलाया जाएगा।
- इस कार्यक्रम हेतु राजस्व विभाग नोडल विभाग होगा।

17– आवास हेतु भूमि का आवंटन

- चयनित ग्राम में भूमि की उपलब्धता की दशा में पात्रता के क्रम में उपलब्ध लाभार्थियों को आवास योग्य भूमि का आवंटन अद्यतन विभागीय निर्देशों के अन्तर्गत करते हुए विधिवत कब्जा दिलाया जाएगा।
- इस कार्यक्रम हेतु राजस्व विभाग नोडल विभाग होगा।

18– मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन/तालाब सुधार कार्यक्रम

- चयनित ग्राम में निहित आवंटन योग्य तालाबों, मीनाशयों एवं पोखरों को मछली पालन हेतु विभागीय अद्यतन आदेशों के अन्तर्गत आवंटित किया जायेगा। मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा इच्छुक लाभार्थियों को तालाब सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम हेतु राजस्व विभाग व मत्स्य विकास विभाग नोडल विभाग होंगे।

19– कुम्हारीकला हेतु भूमि का आवंटन

- चयनित ग्राम में भूमि प्रबन्ध समिति के अधिकार क्षेत्र एवं प्रबन्ध में आने वाली ऐसी भूमि जहां कुम्हारी कार्य हेतु उपयुक्त मिट्टी उपलब्ध हो, का .विभागीय अद्यतन आदेशों के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को आवंटन किया जायेगा।
- इस कार्यक्रम हेतु राजस्व विभाग नोडल विभाग होगा।

20– कौशल विकास कार्यक्रम

- व्यवसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कौशल विकास पहल (स्किल डेवलेपमेंट इनीशियेटिव) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्राम के पात्र एवं इच्छुक निवासियों को स्थानीय आवश्यकतानुसार अल्पकालीन रोजगारपरक व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम हेतु व्यवसायिक शिक्षा विभाग नोडल विभाग होगा।

21– बेरोजगारी भत्ता वितरण

- चयनित ग्राम में मानक के अनुसार पात्र एवं पंजीकृत बेरोजगार युवक एवं युवतियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग नोडल विभाग होगा।

22– टैबलेट पी0सी0 एवं लैपटॉप वितरण

- चयनित ग्राम में निर्धारित मानकों एवं अद्यतन विभागीय आदेशों के अनुसार पात्र छात्र/छात्राओं को टेबलेट पी0सी0 एवं लैपटॉप का वितरण किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग नोडल विभाग होगा।

23– वृद्धावस्था/किसान पेंशन वितरण

- चयनित ग्राम में विभागीय अद्यतन आदेशों के अनुसार योजनान्तर्गत पात्र समस्त व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

24– पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान वितरण

- चयनित ग्राम में विभागीय अद्यतन आदेशों के अनुसार योजनान्तर्गत पात्र समस्त महिलाओं को पेंशन प्रदान की जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु महिला कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

25– विकलांग पेंशन वितरण

- चयनित ग्राम में विभागीय अद्यतन आदेशों के अनुसार योजनान्तर्गत पात्र समस्त व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु विकलांग कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

26– राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पेंशन योजना

- चयनित ग्राम में विभागीय अद्यतन आदेशों के अनुसार योजनान्तर्गत पात्र समस्त लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

27– अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति वितरण

- चयनित ग्राम में विभागीय अद्यतन आदेशों के अनुसार पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर के अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

28– अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण

- चयनित ग्राम में विभागीय अद्यतन आदेशों के अनुसार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मानक के अनुसार पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

29– गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण

- चयनित ग्राम में विभागीय अद्यतन आदेशों के अनुसार पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर के अध्ययनरत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के अभिभावकों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

30– अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण

- चयनित ग्राम में विभागीय अद्यतन आदेशों के अनुसार पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।

31– पशुओं का टीकाकरण

- चयनित ग्राम के समस्त छोटे पशुओं में गलाघोटूं और पी.पी.आर. बीमारियों से बचाव के लिए तथा समस्त बड़े पशुओं में गलाघोटूं और खुरपका–मुंहपका बीमारियों से बचाव के लिए निर्धारित शुल्क लेकर टीकाकरण किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम हेतु पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा।

32– पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

- चयनित ग्राम के पशुओं के उत्पादन स्तर को बढ़ाने हेतु ग्राम के समस्त प्रजनन योग्य पशुओं को योजनान्तर्गत उन्नत प्रजनन आच्छादन हेतु कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- इस कार्यक्रम हेतु पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा।

33– आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

- चयनित ग्राम के समस्त परिवारों को विभागीय आदेशों के अन्तर्गत पात्रता के अनुरूप अन्त्योदय कार्ड, बी0पी0एल0 कार्ड अथवा ए0पी0एल0 कार्ड की उपलब्धता से संतृप्त किया जाएगा।
- सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
- इस कार्यक्रम हेतु खाद्य एवं रसद विभाग नोडल विभाग होगा।

34– बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम

- चयनित ग्राम में बीज प्रतिस्थापन दर को विभाग द्वारा निर्धारित मानक स्तर तक पहुंचाया जाएगा।
- इस कार्यक्रम हेतु कृषि विभाग नोडल विभाग होगा।

35– किसान क्रेडिट कार्ड वितरण

- चयनित ग्राम में पात्र एवं इच्छुक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से शत–प्रतिशत आच्छादित किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम हेतु कृषि विभाग नोडल विभाग होगा।

36– मृदा परीक्षण कार्यक्रम

- चयनित ग्राम के इच्छुक कृषकों को फसल विशेष हेतु उर्वरकों की सही मात्रा के निर्धारण, भूमि में उपलब्ध मुख्य/द्वितीय एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करने तथा मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार कर कृषकों को मार्गदर्शन देने हेतु मृदा परीक्षण की सुविधा निर्धारित शुल्क लेकर उपलब्ध करायी जायेगी।
- इस कार्यक्रम हेतु कृषि विभाग नोडल विभाग होगा।

5– योजनान्तर्गत ग्रामों का चयन

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 10,000 राजस्व ग्रामों को चयनित कर समयबद्ध रूप से पांच वर्षों में विकसित किया जायेगा। इस वर्ष (2012–13) में लगभग 1600 राजस्व ग्रामों का चयन किया

जाएगा। अनुवर्ती चार वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 2100 राजस्व ग्रामों का चयन किया जाएगा ।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न जनपदों की ग्रामीण जनसंख्या एवं पिछड़ेपन के सूचकों (बैकवर्डनेस इण्डीकेटर्स) के आधार पर प्रदेश स्तर पर वर्षवार एवं जनपदवार ग्रामों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा तथा सभी संबंधित को सूचित किया जाएगा।

6– <u>ग्रामों के चयन की प्रक्रिया</u>

जनपद स्तर पर चयनित किए जाने वाले ग्रामों का निर्धारण करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :–

- सर्वप्रथम जिलाधिकारियों द्वारा गैर–आबाद ग्रामों को छोड़ते हुए जनपद के समस्त राजस्व ग्रामों की तहसीलवार सूची तैयार करायी जाएगी। इस सूची की प्रतियां लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, जल निगम, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम, बेसिक शिक्षा विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाएंगी।
- संबंधित कार्यक्रम के जिला स्तरीय अधिकारी अपने अधीनस्थ तहसील एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों के मध्य ग्रामों का विभाजन करते हुए अपने विभाग से संबंधित कार्यक्रम/सुविधाओं का भौतिक सर्वेक्षण कराते हुए, प्रत्येक ग्राम को 0 से 3 तक अंक प्रदान करेंगे। अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :–

<u>अंकों का निर्धारण</u>

➢ सम्पर्क मार्ग –

- ग्राम का मुख्य मजरा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग अथवा मुख्य जिला मार्ग पर स्थित है – 3 अंक
- ग्राम का मुख्य मजरा पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है – 2 अंक
- ग्राम का मुख्य मजरा खड़न्जे से जुड़ा है – 1 अंक
- ग्राम का सम्पर्क मार्ग कच्चा है – 0 अंक

➢ आन्तरिक गलियां –

ग्राम की समस्त गलियों में से

- 75% से अधिक गलियां सी0सी0 रोड/इण्टरलॉकिंग टाइल्स से निर्मित है – 3 अंक

- 51 से 75% से अधिक गलियां सी0सी0 रोड/ इण्टरलॉकिंग टाइल्स से निर्मित है – 2 अंक
- 26 से 50% से अधिक गलियां सी0सी0 रोड/इण्टरलॉकिंग टाइल्स से निर्मित है – 1 अंक
- 25% या इससे भी कम गलियां सी0सी0 रोड/ इण्टरलॉकिंग टाइल्स से निर्मित है – 0 अंक

➢ पेयजल सुविधा

प्रति हैण्डपम्प जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार)

- 75 से कम – 3 अंक
- 75 से 100 तक – 2 अंक
- 101 से 150 तक – 1 अंक
- 151 या अधिक – 0 अंक

पाइप लाइन की दशा में

ग्राम की कुल गलियों में से

- 75% या अधिक गलियों में वितरण पाइप लाइन की उपलब्धता – 3 अंक
- 51 से 75% तक गलियों में वितरण वितरण पाइप लाइन की उपलब्धता – 2 अंक
- 26 से 50% तक गलियों में वितरण पाइप लाइन की उपलब्धता – 1 अंक
- 25% या कम गलियों में वितरण पाइप लाइन की उपलब्धता – 0 अंक

➢ विद्युतीकरण

ग्राम की समस्त गलियों में से

- 75% या अधिक गलियों में वितरण नेटवर्क उपलब्ध है– 3 अंक
- 51% से 75% तक गलियों में वितरण नेटवर्क उपलब्ध है– 2 अंक
- 26 से 50% तक गलियों में वितरण नेटवर्क उपलब्ध है– 1 अंक
- 25% या कम गलियों में वितरण नेटवर्क उपलब्ध है– 0 अंक

➢ प्राथमिक/उच्च पाठशाला

- ग्राम प्राथमिक एवं उच्च पाठशाला, दोनों से मानकानुसार संतृप्त है– 3 अंक
- ग्राम प्राथमिक पाठशाला से संतृप्त परन्तु उच्च प्राथमिक पाठशाला से असंतृप्त– 2 अंक
- ग्राम प्राथमिक पाठशाला से असंतृप्त परन्तु उच्च प्राथमिक पाठशाला से संतृप्त– 1 अंक

- ग्राम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक पाठशाला, दोनों से असंतृप्त– 0 अंक

➢ स्वच्छ शौचालय

- ग्राम के कुल घरों के 50% से अधिक घरों में शौचालय निर्मित हैं – 3 अंक
- ग्राम के कुल घरों के 26 से 50% तक के घरों में शौचालय निर्मित हैं– 2 अंक
- ग्राम के कुल घरों के 11 से 25% तक के घरों में शौचालय निर्मित हैं– 1 अंक
- ग्राम के कुल घरों के 10% से कम घरों में शौचालय निर्मित हैं – 0 अंक

➢ पंचायत घर

- ग्राम में 2 कमरे से अधिक का पंचायत घर है– 3 अंक
- ग्राम में 2 कमरे का पंचायत घर है– 2 अंक
- ग्राम में 1 कमरे पंचायत घर है– 1 अंक
- ग्राम में पंचायत घर नहीं है– 0 अंक

- उपरोक्तानुसार अंकों के निर्धारण के पश्चात विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त सूचियां जिलाधिकारी को वापस कर दी जाएंगी।

- जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा सभी कार्यक्रमों से प्राप्त अंकों को संलग्न प्रारूप में अंकित कराकर उसका योग प्रारूप के स्तम्भ–11 में कर दिया जायेगा।

- उपर्युक्त प्रारूप में अंकित अंकों एवं योग के विवरण सहित प्रति अधिकारी 5 से 10 ग्रामों की सूची विभिन्न जिला/तहसील/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को सौंपकर उनका इस दृष्टि से सत्यापन कराया जाएगा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा दिए गए अंक सही हैं अथवा नहीं। यदि किसी बिन्दु पर मतभेद हो तो विभागीय एवं सत्यापन अधिकारी के संयुक्त सत्यापन अथवा उच्च स्तर के अधिकारी को मौके पर भेजकर दिए गए अंकों के सही होने की पुष्टि करा ली जाए।

- पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त अंतिम रूप से तैयार सूची को प्रारूप के स्तम्भ–11 पर प्राप्त योगांक के बढ़ते हुए क्रम में तैयार कर लिया जाए। इस प्रकार तैयार सूचना तालिका–1 होगी।

- समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा निर्धारित जनपदवार 5 वर्षों हेतु कुल ग्रामों की संख्या पर सूची को कट ऑफ कर दिया जाए। इस प्रकार प्राप्त सूची के कट ऑफ क्रम के बाद भी यदि अंतिम ग्राम/ग्रामों को एक समान अंक प्राप्त होते हो, तो सूची में उस ग्राम से ऊपर या नीचे

समान अंक प्राप्त करने वाले सभी ऐसे ग्रामों को जनसंख्या के घटते हुए क्रम में सूचीबद्व कर लिया जाए तथा निर्धारित संख्या पूर्ण करने हेतु उतने ग्राम ऊपर से चयनित कर लिए जाए। इस प्रकार समस्त 5 वर्षों हेतु चयनित किए जाने वाले ग्रामों की सूची प्राप्त हो जाएगी। यह सूची तालिका–2 होगी। इस प्रस्तर में दी गयी प्रक्रिया को तालिका–2 पर पुनः लागू कर वर्षवार चयनित किए जाने वाले ग्रामों की सूचियां प्राप्त हो जाएंगी। वर्ष 2012–13 हेतु चयनित ग्रामों की सूची तालिका–3 होगी।

- तालिका–1, 2 व 3 एम0एस0एक्सेल पर तैयार कर समग्र ग्राम विकास विभाग को ई0मेल agvvlko@yahoo.com पर तथा तालिका–2 एवं तालिका–3 अन्य सभी विभागों को भी उपलब्ध करा दी जाए।

7– इसके पश्चात् योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु चयनित ग्रामों की सूची एवं उनमें सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की संकलित कार्ययोजना 30 जून, 2012 तक कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा तैयार करा ली जाए। उक्त कार्ययोजना तैयार कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग प्रारूप निर्धारित करते हुए जनपदों में अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे। जनपदों द्वारा राजस्व ग्रामों की तैयार कार्ययोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यदायी विभागों को साफ्ट कॉपी के साथ 15 जुलाई, 2012 तक उपलब्ध करायेंगे। इसके पश्चात कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों द्वारा उक्त कार्ययोजना संकलित कर इस विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2012–13 हेतु चयनित ग्रामों में संतृप्तीकरण के कार्य 31–03–2013 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। तदोपरान्त अनुवर्ती वर्षों हेतु चयनित राजस्व ग्रामों के संतृप्तीकरण के कार्य भी इसी प्रकार किए जाएंगे।

8– योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समिति–

चयनित ग्रामों के विकास हेतु कार्ययोजना का निर्माण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उनके अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जो निम्नवत होगी –

क.	जिलाधिकारी –	अध्यक्ष।
ख.	मुख्य विकास अधिकारी –	उपाध्यक्ष।
ग.	जिला विकास अधिकारी –	सदस्य।
घ.	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी –	सदस्य।
ङ.	सम्बन्धित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी –	सदस्य।
च.	परियोजना निदेशक (डी0आर0डी0ए0)–	सदस्य सचिव।

योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में विभिन्न कार्यक्रयों के संचालन, क्रियान्वयन एवं मानकानुसार संतृप्तीकरण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायी होंगे। विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी जनपद स्तर पर गठित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के प्रति भी उत्तरदायी होंगे। योजना के निर्माण, संचालन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु अन्य सभी विभागों के अधिकारी भी, जिन्हें समिति कोई भी दायित्व सौंपे, अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

9— शासन स्तर पर कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभाग डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के समन्वय हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष एवं कार्यालय का पता सम्बन्धी सूचना इस विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

10— (i) योजना के अन्तर्गत चिन्हांकित समस्त कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक होगा कि चयनित ग्रामों की कार्ययोजना के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक समय—सारिणी निर्धारित की जाय, जिससे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक चयनित ग्रामों को समस्त चिन्हांकित कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा सके।

(ii) कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यदायी/प्रशासनिक विभागों द्वारा कार्यक्रमों के संतृप्तीकरण का अद्यतन विभागीय मानक/विस्तृत दिशा—निर्देश जनपद स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति समग्र ग्राम विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(iii) समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा योजना के अनुश्रवण हेतु निर्धारित प्रारूप जो अलग से निर्धारित किए जा रहे हैं, के अनुसार कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर तैयार कर प्रत्येक मण्डल को उपलब्ध कराया जायेगा एवं मण्डलायुक्त स्तर पर समस्त जनपदों से सूचना प्राप्त कर इस साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि तक समग्र ग्राम विकास विभाग को ई—मेल अथवा सी0डी0 के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

11— डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना की भौतिक एवं गुणात्मक प्रगति के मूल्यांकन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के गहन एवं प्रभावी निरीक्षण किए जायें तथा

19

ये निरीक्षण जिला स्तर के अधिकारियों के अतिरिक्त मण्डल एवं राज्य स्तर के अधिकारियों के द्वारा भी किए जाएं।

12– योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा नियमित अन्तराल पर की जाएगी। शासन स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे।

13– इस योजना के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं विस्तृत अनुश्रवण का दायित्व समग्र ग्राम विकास विभाग को होगा।

उपरोक्त सभी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 447(1)/66-12 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
5– निदेशक, समग्र ग्राम विकास सचिवालय सेल, उ0प्र0।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सदाकान्त) 17/5/12
प्रमुख सचिव।